



जैन पुराणों में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य

डॉ. राखी गुप्ता

व्याख्याता अर्थशास्त्र विभागए 1351, सन्तो 1 सदन वर्कत नगर, जयपुर

KEYWORDS

18वीं ताब्दी में हुई औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उद्योग धन्धों का विकास तीव्र गति से हुआ जिनमें यंत्रों संयंत्रों और मशीनों का उपयोग मुख्य रूप से होता है। इनमें लघु और बड़े उद्योगों को उनके पूंजी-निवेश के आधार पर विभाजित किया जाता है। आलोचित पुराणों में कारखाना पद्धति के अनुसार औद्योगिक साम्राज्य का उल्लेख भले ही ना हो पर सामूहिक उद्योगिता और बड़े पैमाने पर उत्पादन अवश्य होता था जहाँ बहुत सारे श्रमिक और कर्मचारी कार्य करते थे जिनकी तुलना वर्तमान की औद्योगिक इकाईयों से की जा सकती है।

समीक्षित पुराणों में व्यापारी के लिए वणिक् और व्यापार के लिए वणिज् इब्द प्रयुक्त हुआ है। उस समय भारत के उद्योग-धन्धे काफी विकसित अवस्था में थे। अनेक राजपूत राज. आँ जैसे पाल, परमार प्रतिहार, रा द्रकूट, चौहान, चोल एवं चालुक्य वंशों के आसकों ने अनेक उद्योग धन्धों के विकास में अहम् भूमिका निभाई थी जिससे अनेक प्रकार के उद्योग धन्धों जैसे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, जवाहरात उद्योग आदि की काफी प्रगति हुई।¹

आलोचित पुराणों के वर्णनों से वस्त्र उद्योग की उन्नति का पता चलता है। कपड़े कपास, ऊन, रेशम आदि पदार्थों से बनते थे। बनारस एवं मथुरा रेशमी और सूती वस्त्रों के प्रमुख केन्द्र बन गये थे। बुनकर, दर्जी और रंगरेज भी इस व्यवसाय से संबन्धित थे। कपड़ों की रंगाई और छपाई भी भारत में बहुत श्रेष्ठ की जाती थी। बंगाल, गुजरात और पैठन के बने हुए कपड़े दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि बंगाल में बनाया गया सूती कपड़ा इतना अधिक बारीक था जैसा कि अन्य किसी देश में तैयार नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त मगध, कामरूप, कलिंग, कश्मीर, मुल्तान, मध्य-प्रदेश और दक्षिण-भारत के विभिन्न स्थानों पर भी बहुत श्रेष्ठ और विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किये जाते थे। कौलिक लोग वस्त्र बुनने का कार्य करते थे।²

आलोचित पुराणों के अनेक विवरणों से तत्कालीन युग के समुन्नत वस्त्रोद्योग पर प्रकाश पड़ता है। इस समय वस्त्रों पर सूती एवं रेशमी धागों से कढ़ाई का काम खूब होता था। विविध रंगों से रंगाई का काम करके रंगीन वस्त्र निर्मित किये जाते थे। बादली रंग के वस्त्र, गेरुए वस्त्र, लाल रंग के साफ़, आदि से इसकी पुष्टि होती है। बहुमूल्य वस्त्रों को सुरक्षात्मक दृष्टि से पाटल में रखा जाता था। पुरुषों के प्रधान वस्त्र उत्तरीय तथा अधोवस्त्र थे।³

व्यापार एवं वाणिज्य⁴ –

क्रय-विक्रय को व्यापार और इन गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है। व्यापार करना वाणिज्य है। वाणिज्य का आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। आदिपुराण में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चार विधाओं का उल्लेख आया है तथा कृति-1, पृष्ठापालन एवं वाणिज्य को वार्ता कहा गया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी वार्ता की व्याख्या कृति-1, पृष्ठापालन और व्यापार के रूप में की गयी है। धान्य, पृष्ठा, हिरण्य, ताम्रादि खनिज पदार्थ की उत्पत्ति का साधन वार्ता है। वार्ता के अभाव में आर्थिक समृद्धि सम्भव नहीं है। जहाँ कृति-1, पृष्ठापालन और वाणिज्य व्यवसायों की उत्पत्ति न हो वहाँ दौ की आर्थिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसी कारण आदिपुराण में वाणिज्य व्यवसाय के साथ पृष्ठापालन और पृष्ठा व्यापार को महत्त्व दिया गया है।⁵

दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे नमक, मसाले, कपड़े आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता, आसक वर्ग के लिये विभिन्न विलासिता की वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान-प्रदान तथा व्यापारी वर्ग की लाभ प्राप्ति की आकांक्षा के कारण व्यापार किया जाना अनिवार्य था। इस कारण विभिन्न स्थानों

पर उत्पन्न वस्तुएँ देश के एक भाग से दूसरे भाग में भेजी जाती थी और विभिन्न स्थानों ने स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन में ख्याती प्राप्त कर ली थी।⁶

विनिमय के लिए क्रय-विक्रय प्रयुक्त हुआ है पुराणों में वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने का वर्णन तो आया है परन्तु इसका माध्यम क्या था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है। कहीं-कहीं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिलती है। चारुदत्त नामक वणिक् अपनी स्त्री तथा माता के आभूषणों को लेकर व्यापार के लिए जाता है तथा कपास खरीदता है। एक अन्य प्रसंग में बलदेव ने बाजार में अपना कड़ा और कुण्डल देकर उससे खाने-पीने की सामग्री खरीदी। इससे यह आभास होता है कि उस समय स्वर्णमूँग भी क्रय-विक्रय का माध्यम रहा होगा। मुख्य रूप से कौड़ी, स्फीटक मणि एवं दीनार आदि का उल्लेख आया है।

आलोचित पुराणों में कुछ व्यापारियों के उल्लेख भी मिलते हैं। अयोध्या नगरी में एक सुरेन्द्र दत्त नामक सेठ रहता था जो 32 करोड़ दीनारों का धनी था तथा वह व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। वह दीनार दान में देता था। उत्तरपुराण में उल्लेख आया है कि सुमुख सेठ ने वीरदत्त को व्यापार हेतु बारह वर्षों के लिए बाहर भेज दिया था। कोई एक वणिक् अपना खरीदा हुआ माल बेचने के लिए अमूल्य मणी लेकर राजा जरासन्ध से मिलने गया। तत्कालीन समय वाणिज्य सफल था तथा राज्य व्यापारियों के क्रय-विक्रय की अधिकता से अत्यधिक सम्पन्न था।⁷

व्यापारी दो प्रकार के बताये गये हैं – 1. स्थानीय व्यापारी 2. सार्थवाह

ग्राम-नगर के बाजारों में नित्य उपभोग की तथा अन्य सभी वस्तुएँ उपलब्ध रहती थी। राजमार्गों तथा चौराहों पर भी खाने-पीने की चीजें मिल जाया करती थी। अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग बाजार भी होते थे तथा अनेक दुकानें वस्तु-विशेषों के लिए ही होती थी। स्थानीय व्यापारी के तीन प्रकार बताये गये हैं – वणिक्, गाथापति और श्रेष्ठी।

वणिक् के अन्तर्गत 'वणि', विवाणि और 'कक्खपुडिय' के तीन भेद मिलते हैं। एक ही स्थान पर दुकान लगाकर बैठकर व्यापार करने वाले वणि, घूम पर व्यापार करने वाले विवाणि और बगल में माल की गडरी लेकर व्यापार करने वाले कक्खपुडिय वणिक् कहलाते थे। इस प्रकार के सामान्य व्यापारी बहुतायत में पाये जाते थे। गाथापति और श्रेष्ठी सम्पन्न वर्ग के व्यापारी होते थे। ये व्यापार के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम-एतन्धे करते थे तथा व्यापार भी इनका वृहद् स्तर पर होता था। समाज और आसन में गाथापति और श्रेष्ठी का अच्छा मानसम्मान था।⁸

कभी-कभी व्यापारी लोग बड़े-बड़े समूह में सार्थवाह के रूप में व्यापार के लिए जाया करते थे और अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा कर काफी लाभ कमाते थे। देशी और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में सार्थवाहों का अहम् योगदान रहता था। सार्थवाह अपने प्रस्थान से पूर्व अनेक तैयारियाँ करता था तथा यात्राओं से पूर्व उन्हें राजाओं से भी अनुमति लेनी पड़ती थी तथा राजा भी बीहड़ और भयानक रास्तों में उनकी सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षाकर्मी भी नियुक्त करता था। सार्थवाह स्वयं भी सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध करते थे। सार्थवाह अपने खान-पान और सुख-सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे। सार्थवाह अधिकांश रूप से विभिन्न प्रकार के मोती माणिक्यादि तथा सोने-चाँदी आदि का व्यापार करते थे। सार्थवाह धन, ऐश्वर्य तथा सेना, गुप्तचर आदि से सम्पन्न होते थे। सार्थवाहों का वर्ग वर्णों में वापस लौटता था अतः उनके साथ क्रय-विक्रय की वस्तुओं के अतिरिक्त भोजन, पान आदि भी प्रचुर परिमाण में संचित

रहते थे। हमारे इस कथन की पुष्टि ट मेरुकदत्त नामक सेठ के आख्यान से होती है। यह सेठ व्यापारी, समुदायसंघ का अधिपति था और इसी के परामर्श से संघ का संचालन होता था। दु कर और विकट राहों पर दो-दो सार्थवाह भी साथ-साथ चलते थे। पाँच प्रकार के सार्थ बताये गये हैं :

- 1- भण्डी : इसमें माल ढोने के लिए टटक आदि यान होते थे।
2. बहलिका : इसमें भारवाही पशु ऊँट, घोड़े, बैल, खच्चर आदि होते थे।
3. भारवह : इस प्रकार के सार्थ में यात्री अपना भार स्वयं ढोते थे।
4. औदारिका : इसमें श्रमिकों का साथ होता था, जो उनकी आजीविका के लिए घूमते थे।
5. कार्याटिका : इसमें भिक्षुओं और साधु-साधवियों का सार्थ होता था। तत्कालीन समय के व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों के विकास में सार्थ का अत्यधिक महत्त्व था।

श्रीभूति नामक पुरोहित सिंहपुर नगर की समस्त दिशाओं में भाण्डशालाएं बनवाकर व्यापारी वर्ग का बहुत विश्वास पात्र बन गया था। पद्मखण्ड नामक नगर में सुमित्र दत्त नामक वणिक रहता था। वह अपने पाँच रत्न श्रीभूति पुरोहित के पास रखकर जहाज द्वारा कहीं गया था।

पशुओं का व्यापार भी किया जाता था। ग्वाले गाय, बैल आदि पशुओं को खरीदते थे और अधिक कीमत पर उन्हें बेचते थे। इस खरीद विक्रय में एक प्रतिभू जांमिनदार भी होता था, जिसकी जमानत पर मवेशी को खरीदा जाता था। अतएव यह स्पष्ट है कि व्यापार – व्यवसाय का कार्य पर्याप्त समृद्ध था।

इस काल में व्यापार उन्नत अवस्था में था। विदेशों से व्यापार किया जाता था तथा व्यापार के लिये विदेश भी जाया जाता था। व्यापार स्थलमार्ग और जलमार्ग दोनों द्वारा सम्पादित होता था। अन्तः देशीय व्यापार में हाथी, बैल, घोड़े आदि साधनों का प्रयोग एवं विदेशी व्यापार में नाव, जहाजों का प्रयोग होता था। आदिपुराण में पतन पत्तन और द्रोण मुख नगरों के उल्लेख से जलमार्ग से व्यापार का संकेत मिलता है। चारुदत्त की व्यापार यात्रा में जहाज के छह बार फटने का उल्लेख है। श्रीपाल की जलयात्राएँ भी व्यवसायियों के जल व्यापार को सूचित करती हैं। इसी सन्दर्भ में व्यापारियों की नौकाओं का मार्ग में टूट जाना, आँधी तूफानों में नौकाओं का फंस जाना आदि समुद्री व्यापारियों की अनेक मार्गगत कठिनाइयों का उल्लेख भी आया है।⁹

पुराणों से यह ज्ञात नहीं होता है कि दो युद्धरत देशों के बीच यातायात एवं वाणिज्य-व्यापार सम्बन्ध कैसे सम्पन्न होते थे। संभवतया आवागमन निश्चित या नियन्त्रित हो जाता हो क्योंकि कुछ उल्लेखों से ऐसा संकेत मिलता है कि राज्य में विदेशियों पर दृष्टि रखने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे और अमित्र देशों में आवागमन पर प्रतिबन्ध रहता था। पान्ति काल में वणिक-व्यापारियों द्वारा अपनी राज्य सीमा से बाहर अन्य देशों में व्यापार करने से स्पष्ट होता है कि विभिन्न राज्यों में पान्तिकाल में आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता था वाणिज्य-व्यापार अबाध गति से होता था।¹⁰

सन्दर्भ सूची

- 1⁹ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 24/58-59
- 2⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3/293
- 3⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 27/67
- 4⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 27/32
- 5⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 45/67
- 6⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 16/240
- 7⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 27/31
- 8⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3/198
- 9⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3/198
- 10⁰ आचार्य रवि भोग : पद्म पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्यचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3/296